न्यायालय–अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–३, आजमगढ़

UPAZ010021512023

द्वितीय जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या–८९९/२०२३

लक्ष्मी सिंह उम्र लगभग ४६ वर्ष पेशा गृहणी पत्नी दिलबहादुर सिंह उर्फ दिलेर सिंह निवासी ग्राम देवखरी थाना कन्धरापुर, जिला आजमगढ़

..... आवेदिका/अभियुक्ता

बनाम

उ०प्र० सरकार .....विपक्षी

अपराध संख्या–१४५/२०२२
धारा–४०६ भा०दं०सं०
थाना–कन्धरापुर, जनपद आजमगढ़

दिनाँक–२७.०३.२०२३

थाना स्थानीय कन्धरापुर के मुकदमा अपराध संख्या–१४५/२०२१ अन्तर्गत धारा–४०६ भा०दं०सं० के बाबत न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध आवेदिका/अभियुक्ता उपरोक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सुनवाई हेतु आज नियत है।

जमानत प्रार्थना पत्र पर आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियोजन पक्ष की ओर से उपस्थित सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा उठाये गये तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का सम्यक परिशीलन किया।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादिनी मुकदमा विभा सिंह पत्नी राजेश कुमार सिंह निवासी ग्राम कम्हेनपुर थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ़ द्वारा स्थानीय थाने पर इस आशय की तहरीर दी गयी कि उसने लक्ष्मी सिंह पत्नी दिलबहादुर सिंह उर्फ दिलेर सिंह निवासी ग्राम देवखरी थाना कन्धरापुर जिला आजमगढ़ को कुल धनराशि रू० ७२,००,०००/ (बहत्तर लाख) की जमीन का एग्रीमेंट ३०,००,०००/ रूपये का अग्रिम भुगतान करके तैयार कराया था, किन्तु लक्ष्मी सिंह व उनके पति दिलबहादुर उर्फ दिलेर सिंह और लक्ष्मी सिंह के भाई गजेन्द्र सिंह व लक्ष्मी के चचेरे देवर अजीत सिंह आपस में साजिश करके उसका रूपया हड़पने की नियत से सर्वप्रथम दिनाँक १५.०६.२०२० को दिलबहादुर उर्फ दिलेर सिंह द्वारा अपनी पत्नी लक्ष्मी सिंह के नाम से हिब्बानामा तैयार कराया तथा साजिशन दूषित मन से दिनाँक १९.०६.२०२० को उपरोक्त सम्पूर्ण जमीन गाटा संख्या ३७६ व ३७७ का एग्रीमेंट कुल ३०,००,०००/ (तीस लाख रूपया) अग्रिम धनराशि प्राप्त कर, कर दिये। सम्पूर्ण जमीन कुल ७२,००,०००/ रूपया (बहत्तर

लाख रूपया) में तय थी, जिसका बकाया ४२,००,०००/ रूपया वादिनी को तीन वर्षों में अदा कर उपरोक्त सम्पूर्ण जमीन का विक्रय विलेख तैयार कराना तय हुआ। उपरोक्त सभी लोग साजिश करके न्यायालय में पति दिलबहादुर उर्फ दिलेर सिंह, पत्नी लक्ष्मी सिंह को पक्षकार बनाकर उपरोक्त हिब्बानामा सुलहनामा के आधार पर वादिनी से किये गये एग्रीमेंट के तथ्य को छिपा कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय के समक्ष छल करके निरस्त करा कर उपरोक्त तयशुदा जमीन दिलबहादुर सिंह उर्फ दिलेर सिंह द्वारा अपने स्वामित्व में ले ली गयी, जिससे वादिनी का हित प्रभावित हुआ तथा उसके द्वारा दी गयी अग्रिम धनराशि ३०,००,०००/ रूपया हड़प लिया गया। वादिनी तथा उसके पति राजेश कुमार सिंह उपरोक्त के सम्बन्ध में दी गयी नोटिस दिनाँक १२.०८.२०२० के बारे में पूछने गये तब दिलबहादुर उर्फ दिलेर व वहाँ उपस्थित अजीत सिंह, गजेन्द्र सिंह व लक्ष्मी सिंह वादिनी तथा उसके पति के ऊपर कट्टा लहराते हुए जान से मारने की धमकी दिये तथा माँ बहन की भद्दी–भद्दी गाली देते हुए धक्का मार कर भगा दिया। वादिनी मुकदमा के उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया गया।

जमानत प्रार्थना पत्र पर बल देते हुए आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा अवेदिका का रिमाण्ड धारा ४१९, ४२०, ४६७, ४०६, ४६८, ४७१, ५०४ व ५०६ भा०दं०सं० के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया था और इन्हीं धाराओं में आदेश दिनाँक १२.१२.२०२२ द्वारा आवेदिका की जमानत निरस्त की गयी है, जिसके विरूद्ध आवेदिका द्वारा सत्र न्यायाधीश के समक्ष जमानत प्रार्थना पत्र दिनाँक २२१.१२.२०२२ को प्रस्तुत किया गया था जो सुनवाई के उपरांत इस न्यायालय द्वारा दिनाँक १९.०१.२०२३ को निरस्त कर दिया गया। जमानत प्रार्थना पत्र में लिपिकीय चूक के कारण धारा ४०६ भा०दं०सं० का अंकन छूट गया था जानबूझकर चूक कारित नहीं की गयी है। उपरोक्त परिस्थितियों में द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। धारा ४०६ भा०दं०सं० के अपराध के गठन के लिए पत्रावली पर कोई विश्वसनीय साक्ष्य नहीं है। आवेदिका की तरफ से धारा ४०६ भा०दं०सं० के अपराध में जमानत हेतु माननीय उच्च न्यायालय या स्वोच्च न्यायालय के को जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदिका दिनाँक १०.१२.२०२२ से न्यायिक अभिरक्षा में है। आवेदिका की जमानत स्वीकार करने की याचना की गयी।

जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए न्यायालय में कार्यरत सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि जमानत प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के आधार पर आवेदिका/अभियुक्ता को जमानत पर रिहा किये जाने का कोई आधार नहीं है। आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र निराधार है, खारिज किया जाये।

अभियोजन कथानक के अनुसार आवेदिका लक्ष्मी सिंह ने ७२,००,०००/ (बहत्तर लाख) की जमीन विक्रय का एग्रीमेंट वादिनी से ३०,००,०००/ रूपये का अग्रिम भुगतान लेकर निष्पादित किया, किन्तु अभियुक्तगण ने आपस में साजिश करके वादिनी का रूपया हड़पने की नियत से अभियुक्त दिलबहादुर उर्फ दिलेर सिंह के द्वारा अपनी पत्नी आवेदिका लक्ष्मी सिंह के नाम

से हिब्बानामा तैयार किया और उसे पक्षकार बनाकर उपरोक्त हिब्बानामा सुलहनामा के आधार पर वादिनी से किये गये एग्रीमेंट के तथ्य को छिपा कर कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर न्यायालय के समक्ष छल करके निरस्त करा कर उपरोक्त तयशुदा जमीन सह अभियुक्त दिलबहादुर सिंह उर्फ दिलेर सिंह द्वारा अपने स्वामित्व में ले ली गयी। पूछने पर अभियुक्तगण द्वारा कट्टा लहराते हुए जान से मारने की धमकी व माँ बहन की भद्दी–भद्दी गाली देते हुए धक्का मार कर भगा दिया। आवेदिका/अभियुक्ता पर सह अभियुक्तगण के साथ साजिश करके छलपूर्वक वादिनी मुकदमा का ३०,००,०००/ रूपया हड़पने और वादिनी मुकदमा तथा उसके पति को जान से मारने की धमकी दिये जाने का आरोप है। इस प्रकरण में आवेदिका/अभियुक्त की ओर से ४१९, ४२०, ४६७, ४६८, ४७१, ५०४ व ५०६ भा०दं०सं० के अन्तर्गत प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र सं०–४५९७/२०२२ दिनाँक १९.०१.२०२३ को निरस्त किया जा चुका है। धारा ४०६ भा०दं०सं० के अपराध में भी जमानत का आधार पर्याप्त नहीं है।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों में मामले की गम्भीरता को ध्यान में रखते हुए मामले के गुणदोष पर बिना कोई राय व्यक्त किये आवेदिका/अभियुक्ता का द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदिका/अभियुक्ता लक्ष्मी सिंह की ओर से प्रस्तुत द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

दिनाँक–२७.०३.२०२३

(ओम प्रकाश वर्मा–III)
J.O.Code U.P. 6142
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–३, आजमगढ़

Digitally signed by OM PRAKASH VERMA
Date: 2023.03.27 15:39:19 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court